

26

5000/17



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 718803

BV 718803



5000

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



विक्रय मूल्य - 2,50,000/-रु0
 मालियत - 2,51,000/-रु0
 स्टाम्प - 12,600/-रु0
 दर प्रति हे0 - 33,00,000/-रु0
 विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के नही है
 मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र
 [कोड सं0 159]

लेखपत्र का विवरण-विक्रय-पत्र

- 1-सम्पत्ति का प्रकार
- 2-परगना
- 3-ग्राम

कृषि भूमि
 मोहनलालगंज
 सिठौली कला

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 718804

BV 718804



2

- 4-विक्रीत गाटा संख्या 86/0.331 हे0 विक्रेता के अंश मे से से जुजे
भाग 0.076 मात्र
0.076 मात्र
- 5-विक्रीत कुल क्षेत्रफल 3 कि0मी0 रेलवे स्टेशन से 7 कि0मी0
6-मोहनलालगंज गोसाईगंज मार्ग से 2.50,000/-[दो लाख पचास हजार रू0] जरिए
7-प्रतिफल की धनराशि आर टी जी एस नं0 यू बी आई एन एच -
17122311292 दिनांक 2-5-2017 शाखा यू बी
आई

भूमि की चौहददी

- पूरुब - गाटा सं0 87
पश्चिम - गाटा सं0 85
उत्तर - गाटा सं0 85
दक्षिण - नाला

Rajendra

Rajendra



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 617841

3



प्रथम पक्ष की सं०-1 विक्रेता का विवरण श्रद्धा अग्रवाल पुत्री अंकार नाथ अग्रवाल निवासिनी बी ए-1 बीनकान होम्स निकट योजना भवन के सामने हाण्डा नर्सिंग होम लखनऊ वर्तमान निवासी 1/83 विराम खण्ड गोमती नगर, लखनऊ	द्वितीय पक्ष की सं०-1 क्रेता का विवरण रायल ओशियन इण्डिया इन्फ्राटेक प्रा०लि० द्वारा निदेशक राजमणि यादव पुत्र रामयश यादव निवासी 1/290 विमव खण्ड -1, गोमती नगर लखनऊ,
मो० नं०- 8318414156	मो० नं०- 7054112222
आर एक्स एम 3104020	आधार कार्ड 6921 4205 0817

क्रमांक 2017 तिथि 20.5.17

प्लेन 5 मायाजय

नाम राजनीश कुमार विक्रेता
पता ला0न0-162, तहसील मीहवालगाज, लखनऊ
वेधता अवधि-31-03-2019 तक

2017-18-19
2017-18-19

विक्रेता

Registration No.: 5388

Year: 2,017

Book No.: 1

0101 शब्दा अग्रवाल

ऑफिकर नाथ अग्रवाल

बी ए-1 बीनकान होम्स निकट योजना भवन के सामने हाण्डा नर्सिंग
अध्ययन



क्रमांक 2019 तिथि 2-5-17
 मूल्य 10000/-
 नाम राजनीश कुमार सिंह द्वारा विक्रेता
 पता 100-162, तहसील महिपालगंज, लखनऊ
 वैधता अवधि-31-03-2019 तक

21000/-
 2-5-17
 2-5-17

Registration No. : 5388

0201 रायल ओशियन इण्डिया इन्फ्राटेक प्रा0लि0द्वारा

निदे, राजमणि यादव पुत्र रामयश यादव
 1/290 विम्व खण्ड-1 गोमती नगर लखनऊ
 व्यापार

क्रेता

Year : 2,017 Book No. : 1



क्रमांक	0201
मूल्य	10000/-

This is to certify that the above mentioned
 shares of the company have been sold to
 the purchaser named above for the sum of
 Rs. 10000/- only.

Handwritten signature of the Registrar.

Handwritten signature of the buyer.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DD-092173



6

भूमि राजस्व अभिलेखों में अपने नाम कराये प्रथम पक्ष/विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।
विक्रय शुदा भूमि स्थित ग्राम सिठौली कला परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला
लखनऊ

खाता सं०	गाटा संख्या-रकबा	दर प्रति हे०	मूल्यांकन
459	86/0.331 हे० विक्रेता के अंश मे से मे से जुज भाग 0.076 मात्र	33,00,000/-	2,51,000/-

विक्रय की गई भूमि मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है 200 मीटर परिधि में इमारत नहीं है, राष्ट्रीय/जनपदीय मार्ग के किनारे नहीं है, सम्पर्क मार्ग के किनारे है भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है, लगान उच्चतम 12-50 प्रति बीघा है पत्र व्यवहार का पता उपरोक्त है फोटो गवाहान की शिनाख्त पर प्रमाणित है, स्टाम्प निश्चित दर से दिया गया है।

पक्षकार द्वारा बताये गये तथ्यों व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विक्रय-पत्र तैयार किया गया किसी भी त्रुटि के लिए पक्षकार स्वयं जिम्मेदार है, टाईप कर्ता व मसविदा कर्ता की कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। विक्रय की गई भूमि प्रथम पक्ष/विक्रेता को बयानामा से प्राप्त है। राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष/विक्रेता के नाम अंकित है।

अतएव यह विक्रय-पत्र स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर दबाव या नाजायज आग्रह के पूर्ण होशो हवास में लिख दिया कि प्रमाण हो और समय पर काम आवे।

दिनांक 2-05-2017

गवाहान(1) 

आशुतोष कुमार शुक्ला
S/O निर्भय नारायण शुक्ला
वादरायपुर, पूरब छारा, भुवनेश्वरी







प्रथम पक्ष/विक्रेता


नि:अ. कसन्त

(2)

कसन्त S/O नान्दू
पि० सिडौली कलापर/रह०
मोहनलाल गंज, लखनऊ



द्वितीय पक्ष/क्रेता





टाईप कर्ता



मसविदाकर्ता,

(धर्मेश्वर अक्शी)

एडवोकेट

आज दिनांक 02/05/2017 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 7953

पृष्ठ सं. 37 से 66 पर क्रमांक 5388

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature
विजय लक्ष्मी यादव
उ. नि. मोहनलालगंज
लखनऊ
2/5/2017




नजरी नक्शा भूमि विक्रय शुदा की 200 मीटर की परिधि मे स्थिति सम्पत्तियों का

विक्रय शुदा सम्पत्ति का विवरण : - गाटा सं० 86/0.331 हे० विक्रेता के अंश मे से मे से जुज भाग 0.076 मात्र स्थित ग्राम सिठौली कला परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ

विक्रेता का नाम [पूर्ण विवरण] श्रद्धा अग्रवाल पुत्री ओंकार नाथ अग्रवाल निवासिनी बी ए-1 बीनकान होम्स निकट योजना भवन के सामने हाण्डा नर्सिंग होम लखनऊ वर्तमान निवासी 1/83 विराम खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

क्रेता का नाम [पूर्ण विवरण सहित] रायल ओशियन इण्डिया इन्फ्राटेक प्रा०लि० द्वारा निदेशक राजमणि यादव पुत्र रामयश यादव निवासी 1/290 विमव खण्ड -1, गोमती नगर लखनऊ,

भूमि की चौहद्दी



ह० विक्रेता

ह० क्रेतागण

Rajeshwar

Rajeshwar

प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता को रूपये की आवश्यकता है। आवश्यकता वश प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता द्वारा उक्त गाटा सं0 86/0.331 का जुज भाग 0.057 हे0 को मु0 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार रू0) प्रति विसुवा की दर से बहक रायल ओशियन इण्डिया इन्फ्राटेक प्रा0लि0 द्वारा निदेशक राजमणि यादव पुत्र रामयश यादव निवासी 1/290 विभव खण्ड -1, गोमती नगर लखनऊ के हक में विक्रय करना तय किया गया, जिससे द्वितीय पक्ष/इकरार गृहीता पूर्णतया सहमत है, तय शुदा सम्पूर्ण धनराशि में से 3,00,000/- (तीन लाख रू0) जरिए चेक सं0 014767 दिनोंक 27-12-2016 यूनियन बैंक शाखा विभव खण्ड गोमती नगर लखनऊ बतौर बयाना प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता ने द्वितीय पक्ष/इकरार गृहीता से प्राप्त कर उभय पक्षों के मध्य इकरारनामा कब्जा सहित निष्पादित कराया जा रहा है कि निकट भविष्य में इकरार गृहीता की सुबिधानुसार प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता द्वारा द्वितीय पक्ष/इकरार गृहीता के हक में या इकरार गृहीता जिसे मनोनीत करेगा उसके पक्ष में इकरार की गई भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करा दिया जायेगा विक्रय पत्र पंजीकृत कराते समय शेष रूपया द्वितीय पक्ष/इकरार गृहीता द्वारा प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता को भुगतान किया जायेगा, प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता द्वारा इकरार की गई भूमि पर कब्जा इकरार गृहीता को पूर्व मे ही दिया जा चुका है, प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता द्वारा अन्य किसी को भूमि विक्रय नही की जायेगी उक्त शर्तें दोनो पक्ष व वारिसान पर लागू होंगी। यदि निश्चित अवधि में प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता द्वारा द्वितीय पक्ष/इकरार गृहीता के हक में विक्रय-पत्र निष्पादित न किया जाय हीला हवाली की जाय तो द्वितीय पक्ष/इकरार गृहीता को अधिकार होगा कि न्यायालय में वाद योजित कर इकरार की गई भूमि का विक्रय-पत्र अपने पक्ष में पंजीकृत कराये और उसमें जो भी व्यय हो वह प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता की अन्य जायदाद से वसूली करे जिसमे इकरार कर्ता/प्रथम पक्ष व वारिसान को कोई आपत्ति न होगी। इकरार शुदा गाटा सं0 86 की मौके पर सरकारी पैमाइशी होने के पश्चात इकरार गृहीता की जो भी अतिरिक्त भूमि होगी उपरोक्त तय शुदा दर से ही क्रेता/इकरार गृहीता के हक मे विक्रय करने हेतु इकरार कर्ता बाध्य होगी।

अतएव यह इकरार विक्रय कब्जा सहित अपनी स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर दबाव या नाजायज आग्रह के पूर्ण होशो हवास में लिख दिया कि प्रमाण हो और समय पर काम आवे।

दिनोंक 02-05-2017

प्रथम पक्ष/इकरार कर्ता

गवाहान (1)



(2)

द्वितीय पक्ष/इकरार गृहीता